[2014] 3 एस.सी.आर. 369

सिकन्दर महतो

बनाम

टुन्ना उर्फ टुन्नू मियाँ उर्फ टुन्ना मियाँ उर्फ मोबिन अंसारी एवं अन्य

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 511)

27 फरवरी, 2014

[पी. सदाशिवम, मुख्य न्यायाधीश तथा रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति]

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000

किशोरता का दावा — भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 तथा 302/201 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध — विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को किशोर न मानना तथा उसके द्वारा प्रस्तुत विद्यालय प्रमाण-पत्र को जाली घोषित करना — उच्च न्यायालय द्वारा चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर उसे किशोर घोषित करना — अभिनिर्धारित : परिवादी द्वारा प्रस्तुत तथा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दोनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा सिद्ध किए गए दोनों विद्यालयों के अभिलेखों से यह स्थापित हुआ कि घटना की तिथि पर अभियुक्त किशोर नहीं था — उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया तथा विचारण न्यायालय का आदेश पुनर्स्थापित किया गया — भारतीय दण्ड संहिता, 1860 — धारा 376 तथा 302/201 — साक्ष्य — अपील में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य।

उत्तरदाता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 तथा 302/201 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए अभियोजन चलाया गया। उसने विचारण न्यायालय के समक्ष राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय द्वारा निर्गत एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार घटना की तिथि पर वह किशोर था। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रमाण-पत्र को जाली माना तथा उत्तरदाता

को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा। चिकित्सीय प्रतिवेदन में अभियुक्त की आयु घटना की तिथि पर 17 वर्ष बताई गई। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के किशोरता संबंधी दावे को स्वीकार नहीं किया। किन्तु उच्च न्यायालय ने उसे घटना की तिथि पर किशोर घोषित कर दिया। वर्तमान अपील में परिवादी ने दो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए। इनमें से एक राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि अभियुक्त कभी उस विद्यालय में नामांकित नहीं था। दूसरा प्रमाण-पत्र एक अन्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें अभियुक्त के विद्यालय में नामांकन तथा उसकी जन्मतिथि अंकित थी। उस जन्मतिथि के अनुसार घटना की तिथि पर अभियुक्त की आयु 21 वर्ष थी। न्यायालय ने दोनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को तलब किया। उन्होंने क्रमशः दोनों प्रमाण-पत्रों को सिद्ध किया।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

दोनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा दिनांक 27.01.2014 के आदेश के अनुपालन में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक अभिलेख यह दर्शाते हैं कि प्रथम उत्तरदाता का स्वयं को किशोर बताए जाने का दावा अप्रमाणित बना हुआ है। वास्तव में, जिस विद्यालय में उसका नामांकन हुआ था, उसके अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसकी जन्मतिथि 28.11.1985 थी। आरोपित अपराध की तिथि के संदर्भ में सही गणना करने पर प्रथम उत्तरदाता की आयु घटना की तिथि पर लगभग 21 वर्ष थी और इसलिए वह किशोर नहीं था। अतः उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्स्थापित किया जाता है। [अनुच्छेद 9 एवं 10] [373-डी-एफ]

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : 2014 की आपराधिक अपील संख्या 511

पटना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 46/2008 में दिनांक 14.11.2008 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

मोहित कुमार शाह, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, चन्दन कुमार तथा गौरव अग्रवाल — पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय

रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति 1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. प्रथम उत्तरदाता टुन्नू उर्फ टुन्नू मियाँ उर्फ टुन्नू मियाँ उर्फ मोबिन अंसारी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/201 तथा 376 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु सत्र न्यायालय के समक्ष भेजा गया। प्रथम उत्तरदाता ने स्वयं को किशोर बताते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया तथा उसके समर्थन में राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय, शेखावा, बसंतपुर, प्रखण्ड मैनाटाँड़ द्वारा निर्गत एक प्रमाण-पत्र संलग्न किया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 15.01.1991 अंकित थी। वर्तमान मामले में आरोपित अपराधों की घटना तिथि 16.11.2006 है।

3. विद्वान विचारण न्यायालय ने, यद्यपि इसके कारण स्पष्ट रूप से अभिलिखित नहीं किए गए, यह निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रथम उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र जाली था। तदनुसार, प्रथम उत्तरदाता को एक चिकित्सीय बोर्ड द्वारा परीक्षण हेतु भेजा गया। यद्यपि बोर्ड की प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम उत्तरदाता की आयु 17 वर्ष थी, तथापि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि उक्त चिकित्सीय राय में दो वर्ष तक के अंतर की संभावना स्वीकार्य है। फलतः, दिनांक 24.12.2007 के आदेश द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रथम उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत किशोरता के दावे को स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

4. इससे व्यथित होकर प्रथम उत्तरदाता ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिनांक 14.11.2008 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए प्रथम उत्तरदाता के आवेदन को स्वीकार कर लिया तथा उसे घटना की कथित तिथि पर किशोर और लगभग साढ़े सोलह वर्ष आयु का घोषित किया। उच्च न्यायालय के उक्त निष्कर्ष को चुनौती देते हुए अपराध की पीड़िता के पिता, जो इस मामले के परिवादी हैं, इस न्यायालय के समक्ष आए हैं।

5. वर्तमान अपील में प्रथम उत्तरदाता की ओर से प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पुनः राजकीय उर्दू विद्यालय, शेखावा, बसंतपुर, जिला पूर्वी चम्पारण द्वारा निर्गत विद्यालय प्रमाण-पत्र पर भरोसा किया गया है, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। प्रथम उत्तरदाता ने अपने प्रत्युत्तर में यह भी कहा है कि चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह संबंधित तिथि पर अवयस्क था और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उक्त चिकित्सीय प्रतिवेदन को स्वीकार न किया जाए।

6. इस न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को कुछ दस्तावेज अभिलेख पर लाने की अनुमति प्रदान की गई, जो अपीलकर्ता के अनुसार वर्तमान मामले में उत्पन्न विवादित प्रश्नों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

7. वर्तमान अपील के अभिलेख पर लाया गया पहला दस्तावेज दिनांक 03.04.2013 का एक पत्र/प्रमाण-पत्र है, जिसे राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय, शेखावा, बसंतपुर, प्रखण्ड मैनाटाँड़ के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि प्रथम उत्तरदाता के नाम एवं विवरण वाला कोई भी छात्र कभी उस विद्यालय में नहीं पढ़ा तथा विद्यालय के नाम से जारी किया गया प्रमाण-पत्र जाली दस्तावेज है। दूसरा दस्तावेज राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पूर्वी पउकुआहवा, प्रखण्ड मैनाटाँड़, जिला पश्चिम चम्पारण, बिहार के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी एक

अन्य प्रमाण-पत्र है, जिसमें यह अंकित है कि प्रथम उत्तरदाता का विवरण उक्त विद्यालय के अभिलेखों में दर्ज है तथा विद्यालय प्रवेश पंजिका में उसकी जन्मतिथि 28.11.1985 अंकित है। चूँकि वर्तमान मामले में उत्पन्न विवाद का समाधान उपर्युक्त दोनों दस्तावेजों के आधार पर ही संभव है, इसलिए किसी अन्य दस्तावेज का उल्लेख अनावश्यक होने के कारण नहीं किया जा रहा है।

8. प्रथम उत्तरदाता ने उपर्युक्त दोनों प्रमाण-पत्रों की सत्यता का खण्डन करते हुए कोई शपथ-पत्र अथवा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, चूँकि न्यायालय को इन दोनों दस्तावेजों की प्रामाणिकता के संबंध में संतुष्ट होना आवश्यक था, इसलिए दिनांक 27.01.2014 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :

> "उत्तरदाता संख्या 1-अभियुक्त की घटना की तिथि पर आयु निर्धारित करने के उद्देश्य से हम राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय, शेखावा, बसंतपुर, प्रखण्ड मैनाटाँड़, जिला पश्चिम चम्पारण, बिहार के प्रधानाध्यापक तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पूर्वी पउकुआहवा, प्रखण्ड मैनाटाँड़, जिला पश्चिम चम्पारण, बिहार के प्रधानाध्यापक को निर्देश देते हैं कि वे संबंधित मूल अभिलेखों सहित दिनांक 24 फरवरी, 2014 को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। सूचीबद्ध किया जाए दिनांक 24 फरवरी, 2014 को।"

9. उक्त आदेश के अनुपालन में दोनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापक आज मूल अभिलेखों सहित न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रस्तुत अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम उत्तरदाता के राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय, शेखावा, बसंतपुर, प्रखण्ड मैनाटाँड़ में नामांकित होने अथवा अध्ययन करने का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। वहीं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पूर्वी

पउकुआहवा, प्रखण्ड मैनाटाँड़, जिला पश्चिम चम्पारण, बिहार के अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि प्रथम उत्तरदाता ने उक्त विद्यालय में 08.01.1996 को प्रवेश लिया था तथा प्रवेश पंजिका में उसकी जन्मतिथि 28.11.1985 दर्ज है। अतः दिनांक 27.01.2014 के आदेश के अनुपालन में दोनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रासंगिक अभिलेख यह दर्शाते हैं कि प्रथम उत्तरदाता का स्वयं को किशोर बताने का दावा अप्रमाणित है। बल्कि जिस विद्यालय में उसका नामांकन हुआ था, उसके अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उसकी जन्मतिथि 28.11.1985 थी। आरोपित अपराध की तिथि के संदर्भ में उचित गणना करने पर प्रथम उत्तरदाता की आयु घटना की तिथि पर लगभग 21 वर्ष थी और इसलिए वह किशोर नहीं था।

10. अतः हम उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2008 को पारित आदेश को बनाए नहीं रख सकते। फलस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2008 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2007 को पारित आदेश पुनर्स्थापित किया जाता है।

आर.पी. अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।